पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0नं0 – 69/2024

आगामी : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. आर्यावर्त बैंक झांसल जरिये शाखा प्रबंधक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद पुत्र कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवा व वकील प्रतिवादी श्री बलवंत सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्राथमिक डीक्री किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 ता 21 की पालना में रोही मौजा 2 सीएचएन के खाता सं0 104/107 के मु0 न0 24 के किला न0 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी मु0 न0 33 के किला न0 3/1 की 0.241है0 नहरी, किला न0 3/2 की 0.012है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 4/1 की 0.241है0 नहरी, किला न0 4/2 की 0.012है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 5/1 की 0.241है0 नहरी, किला न0 5/2 की 0.012है0 गै0 मु0 खाला कुल रकबा 2.783है0 जिसमें से नहरी 2.747है0, गै0 मु0 खाला 0.036है0 राजस्व रिकार्ड में संयुक्त पुश्तफर्द की दर्ज है जिसमें वादी कृष्ण कुमार के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रमेश कुमार के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

रमेश पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन झांसल खातेदारः- रोही मौजा चक 2 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 17 ता 21 की 1.265 है0, किला नम्बर 22 की 0.126 है0 कुल 1.391 है0 नहरी।

कृष्ण कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन झांसल खातेदारः- रोही मौजा चक 2 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 22 की 0.127 है0 व किला नम्बर 23 की 0.253 है0, किला नम्बर 24 की 0.253 है0, तथा मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 3/1 की 0.241 है0, किला नम्बर 3/2 की 0.012, किला नम्बर 4/1 की 0.241 है0, किला नम्बर 4/2 की 0.012 है0, किला नम्बर 5/1 की 0.241 है0 किला नम्बर 5/2 की 0.012 है0 कुल 1.392 है0 नहरी मय गै0मु0 खाला (1.356 है0 नहरी एवं 0.036 है0 गै0 मु0 खाला)

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पूर्व में दर्ज गै0मु0 खाला रास्ता व किस्म भूमि को यथावत रखते हुए यदि पक्षकारान [illegible] किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए [illegible] उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह पर्चा प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.[illegible].2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़